संख्या-48/2021/1100/26-3-2021-10(1)/2017

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय अनन्तपुर सहजनवां के भवन निर्माण हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1787/स.क./आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(516)/सिसवा अनन्तपुर सहजनवां गोरखपुर/ 2019-20, दिनांक-10.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, अनन्तपुर सहजनवां के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणित धनराशि के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-146/2017/1123/26-3-2017-10(1)/2017, दिनांक-13.09.2017 द्वारा जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, अनन्तपुर सहजनवां के भवन निर्माण हेतु आगणित लागत रू0-2468.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-987.40 लाख, शासनादेश संख्या-89/2019/4335/26-3-2018-10(1)/2017, दिनांक-29.03.2019 द्वारा द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-269.32 लाख एवं शासनादेश संख्या-92/ 2020/1648/26-3-2020-10(1)/2017, दिनांक-02.07.2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0-685.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, अनन्तपुर सहजनवां के भवन निर्माण हेतु संशोधित आगणित लागत रू0-3533.83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये **चतुर्थ किश्त के रूप में रू0-883.00 लाख (रू0-आठ करोड़ तिरासी लाख मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 एवं 29 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26.08.2014 एवं शासनादेश दिनांक-15.06.2019 तथा 23.07.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)-प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, समाज कल्याण की होगी।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(8)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11)-योजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)-यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटिरिंग भी किया जायेगा।

(13)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15)-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीकृत बैंक में ही जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त धनराशि पर यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16)-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(17)-प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव

पृसं0-48/2021/1100 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

आज्ञा से,

अशोक कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।